<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>17/10/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने श्रीमती माया वारियर और श्रीमती रानू साहू, आईएएस को क्रमशः 15.10.2024 और 17.10.2024 को गिरफ्तार किया है। दोनों **छत्तीसगढ़ के जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले** में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें क्रमशः 16.10.2024 और 17.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 22.10.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक कार्यपालकों के साथ मिलीभगत करके डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजाने के पैसे की हेराफेरी के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज 03 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। यह मामला छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि से भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग से संबंधित है। डीएमएफ खनिकों द्वारा वित्तपोषित एक ट्रस्ट है जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

श्रीमती रानू साहू मई 2021 से जून 2022 तक कोरबा, छत्तीसगढ़ की तत्कालीन जिला कलेक्टर थीं और श्रीमती माया वारियर अगस्त, 2021 से मार्च, 2023 तक कोरबा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास विभाग की तत्कालीन सहायक आयुक्त थीं। कोरबा में उनके कार्यकाल के दौरान विक्रेताओं/ठेकेदारों से अवैध कमीशन वसूली की एक संगठित प्रणाली संचालित की जा रही थी।

ईडी की जांच में पता चला है कि ठेकेदारों ने अधिकारियों को भारी मात्रा में कमीशन/अवैध रिश्वत का भुगतान किया है, जो अनुबंध मूल्य का 25% से 40% है। रिश्वत के भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई नकदी विक्रेताओं/ठेकेदारों द्वारा समायोजन प्रविष्टियों का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी। एफआईआर में "अपराध की आय" का कोई परिमाणीकरण नहीं है। हालांकि, ईडी की जांच में पता चला है कि केवल कोरबा जिले को आवंटित डीएमएफ फंड इसकी शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक 1000 करोड़ रुपये से अधिक है और कमीशन की प्रचलित दर के साथ, कोरबा में अकेले कमीशन की राशि सैकड़ों करोड़ रुपये है।

इससे पहले, ईडी, रायपुर ने डीएमएफ घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर सरकारी अधिकारियों, विक्रेताओं/ठेकेदारों और एकोमोडेशन प्रवेश प्रदाताओं के मामले में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप 2.32 करोड़ रुपये की राशि के आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, नकदी और बैंक बैलेंस, आभूषण आदि जब्त किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।